

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सुण्डा देवी

बनाम

कन्हैयालाल वगै०

क्र. नं० :- 64 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण अनु०। शेष अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 ता 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वारंते आदेश हेतु दिनांक 14. 10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ</p>	
14.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 720 रकबा 0.3800है०, ग्राम बिलोद, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारागढ की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारागढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम बिलोद, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 720 रकबा 0.3800है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी (ललित मीना) जमवारागढ उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ</p>	